कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक–22.06.2017 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अाशार्थियों की व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दिनांक–04.07.2017 तक कार्यग्रहण करने के निर्देश प्रदान किये गये ।

उक्त आदेश के कम सं. 214 पर अंकित श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रामावतार स्वामी, जन्मतिथि 23.02.1980, मेरिट सं. 1974/बी.सी व चयन वर्ग ओबीसी एम, को व्याख्याता हिन्दी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राबाउमावि डग झालावाड पदस्थापन किया गया । श्री सुरेश कुमार के विरूद्ध तत्समतमय एक अभियोजन मुकद्दमा सं. 48/13 धारा 3/7 इ./सी एक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन होने के कारण पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र में प्रकरण विचाराधीन होने का उल्लेख होने के कारण श्री सुरेश कुमार को उक्त पद पर कार्यग्रहण नहीं करवाया गया ।

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक–31.10.2017 के द्वारा आरपीएससी द्वारा चयनोपरान्त व्याख्याता हिन्दी पर नियुक्ति उपरान्त कार्यग्रहण नहीं करने वाले अाशार्थियों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी किये गये । उक्त आदेश के कम सं. 95 पर श्री सुरेश कुमार की नियुक्ति भी निर्धारित समय तक कार्यग्रहण नहीं करने के कारण निरस्त कर दी गई ।

श्री सुरेश कुमार के विरूद्ध मुकद्दमा सं. 48/3 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 के सन्दर्भ में राज्य सरकार के पत्र कमांक–प. 7(15)शिक्षा–2/कार्यग्रहण अभिवृद्धि/2018 पार्ट–I, जयपुर दिनांक–03.07.18 द्वारा कार्मिक विभाग की आई.डी. सं. 809/डीओपी/ए–2/ दिनांक–22.06.18 के अनुसरण में प्राप्त सहमति के आधार पर श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रामावतार स्वामी, जन्मतिथि 23.02.1980, मेरिट सं. 1974/बी.सी के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक–31.10.2017 के कम सं. 95 को प्रत्याहारित किया जाता है । श्री सुरेश कुमार को इस कार्यालय के पूर्व जारी समसंख्यक आदेश दिनांक–22.06.2017 की अनुपालना में राबाउमावि डग झालावाड मे व्याख्याता हिन्दी के पद पर अपवाद स्वरूप 12.07.2018 तक कार्यग्रहण करने अनुमति प्रदान की जाती है ।

शेष शर्ते मूल नियुक्ति आदेशनुसार यथावत रहेगी ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/2017 दिनांक :– 5-7-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यनिक–I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)